

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत _____ मुकाम _____
 बनाम _____
 सम मुकदमा नं. 25 सन् 2004

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्लत जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3-7-17	<p>उभय पक्ष नुसखिया की जरीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अहकाम पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 24.11.17 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपस्थित अधिकारी मण्डल</p>	
24/17	<p>उभय पक्ष नुसखिया की जरीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अहकाम पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 23.11.17 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपस्थित अधिकारी मण्डल</p>	
23/17	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिदैन उपास्थित उपस्थित शहादत आयादा कराना चाहते हैं। शहादत हेतु वकील उतिवादी को अंतिम अवसर दिया जाता है। वारंते शहादत उतिवादी मे पत्रावली दिनांक 16.2.18 को पेश हो।</p>	
16-2-18	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिदैन उपास्थित। वकील उतिवादी शहादत आयादा कराना चाहते हैं। शहादत हेतु वकील उतिवादी को अंतिम अवसर दिया जाता है। वारंते शहादत उतिवादी मे पत्रावली दिनांक 12.4.18 को पेश हो।</p>	<p><i>[Signature]</i></p>
7-5-18	<p>पत्रावली आज राजस्थान हाईकोर्ट अदालत केम्प में पेश की गयी। वकील उतिवादी उपास्थित होकर समझोता पर इस आराध का प्रस्ताव किया कि मौका पर अ. अ. अ. व पत्रावली द्वारा पैसाईश की जायेगी तथा सामंजसी रास्ता खोजने पर मौके अनुसार रवाले का विचारण</p>	<p><i>[Signature]</i></p>

उपस्थित अधिकारी
मंडल जिला पीलवाड़ा

उपस्थित अधिकारी
मंडल जिला पीलवाड़ा

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

कर दिया जाये। व इसी आधार पर प्रकरण
में आगे की कार्यवाही समाप्त समझी जाये।

अतः उपरोक्त समझौता अनुसार लखीम
नगर मॉडल की राजस्व रेगुलेशन में उन्मूलन-संशोधन
करने हेतु डिबिट जारी की जाये। पत्रावली
केवल रासग होकर नम्बर से कम हो।

सुपखण्ड अधिकारी

मंडल जिला भीलवाड़ा